Original.

उपविभागीय अधिकारी वर्धा

# उपविभागीय अधिकारी,वर्धा यांचे कार्यालय

**सिव्हील लाईन, सेवाग्राम रोड, वर्धा**

**Email- Sdowardha@gmail.com** **दुरध्वनी क्र. 07152- 242561**

**वाचा.1.** अर्जदार श्री. हरिभाऊ वासुदेवराव वझुरकर रा.वर्धा ता. जि.वर्धा यांचा दिनांक. 13/ 02/ 2017 चा अर्ज

2. या कार्यालयाकडून दिनांक. 20/02/2017 रोजी जाहीरनामा प्रसिध्द करण्यात आलेला जाहीरनामा व त्यानूसार अदयापपावेतो कोणताही आक्षेप प्राप्त झालेला नाही.
3. नगर रचनाकार,वर्धा यांचे कडील जा.क्र.अकृषक /मौजा.कारला/ ता.वर्धा/स.नं.107/ नरव-1257/2018 सदर शेतजमीनअकृषक करण्याबाबत दिनांक. 03/ 07/2018 चा अंतीम मजुंरी अहवाल.
4. तहसिलदार,वर्धा यांचे कडील पत्र. क्र.क.लि./प्रस्तु /कावि- 1416/ 2019/ दिनांक. 26/ 08/2019 चा सदर शेतजमीन अकृषक करण्याबाबत अहवाल.
5. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, वर्धा यांचे कडील पत्र/अ.का./पुनर्वसन /कावि- 502/2017/ दिनांक.21/03/2017 चा सदर शेतजमीनअकृषक करण्याबाबत अहवाल.
6. कार्यकारी अभियंता निम्न वर्धा कालवे विभाग वर्धा यांचे कडील पत्र./ जा.क्र.- 1614/ चिशा.2/अ.कृ. 2017/ दिनांक. 09/05/2017 चा सदर शेतजमीनअकृषक करण्याबाबत अहवाल
7. ग्रामपंचायत कारला (पिपरी मेघे) ता. जि.वर्धा यांचे कडील दिनांक. 31/03/2017 ठराव क्रं.2/1 नुसार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कारला (पिपरी मेघे) यांचा सदर शेतजमीन अकृषक करण्याबाबत अहवाल
8. महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम 1966 मधील कलम 44 (1)

---

प्रकरण क्र.40/ एन.ए.पी-34/ 2019-20
मौजा. कारला ता. जि.वर्धा
दिनांक :- 30/ 8 /2019

विषय:- मौजा कारला ता. जि.वर्धा येथील स.नं. 107 एकुणआराजी 1.15 हे.आर.जमीन निवासी प्रयोजनासाठी बिनशेती (अकृषक) वापर परवानगीबाबत

**आदेश**

**(पारित दिनांक.30/ 8 / 2019)**

**महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 44 (1) यानुसार व त्याअंतर्गत तयार केलेले नियम महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमीनीच्या वापरात बदल व अकृषिक आकारणी) नियम 1969 नुसार**

ज्याअर्थी अर्जदार श्री. हरिभाऊ वासुदेवराव वझुरकर रा.वर्धा ता. जि.वर्धा यांनी मौजा कारला ता.जि.वर्धा येथील स.नं. 107 एकुणआराजी 1.15 हे.आर.जमीन निवासी प्रयोजनासाठी बिगरशेती परवानगी मिळावी म्हणून अर्ज केला व या कार्यालयाचे पत्र क्र सिरस्तेदार/अकृषक/ कावि-301 दिनांक.20/02/2017अन्वये विवीध विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात आले आहे

uttam

आणि ज्याअर्थी अर्जदार यांनी अर्जासोबत सादर केलेली कागदपत्रे अवलोकनी घेता मौजा साटोडा ता.जि.वर्धा येथील स.नं. 107 एकुणआराजी 1.15 हे.आर. हि जमीन खातेदार श्री. हरिभाऊ वासुदेवराव वझुरकर रा.वर्धा ता.जि.वर्धा यांना खरेदीहक्क लेखाव्दारे मिळालेली आहे. सदरची जमीन भोगवटदार वर्ग1 ची आहे.

**सदर जमीनीचा तपशिल खालीलप्रमाणे.**

| मौजा | त. सा. क्र | शेत स. नंबर | आराजी (हे.आर) | | शेताचे हक्क | अकृषक करणाचे क्षेत्रफळ (हे.आर) | अकृषक वापर | शेतमालकाचे नांव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7/12 प्रमाणे | मोजणी नकाशा प्रमाणे | | | | |
| मौजा कारला ता.जि.वर्धा | 24 | 107 | 1.15 | 1.15 | भोग-1 | 1.15 | निवासी प्रयोजना करीता | श्री. हरिभाऊ वासुदेवराव वझुरकर रा.वर्धा |

ज्याअर्थी अर्जदाराने उपरोक्त तपशिलातील कृषक जमीनीचे रुपांतर अकृषक प्रयोजना करीता भू-परावर्तीत करण्यांची परवानगी महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम 1966 कलम 44 अंतर्गत मागीतल्यावरुन खालील प्रमाणे नियमानुसार कार्यवाही करण्यांत आली.

आणि ज्याअर्थी प्रस्तुत प्रकरणी तहसिलदार वर्धा यांनी सदरची जागा तलाठी कारला यांचे मार्फत स्थळ पाहणी, पंचनामा करुन त्यामध्ये जागेचा अकृषीक वापर सुरु नाही. सदरची जागा इनाम नाही तरी या जागेस बिगरशेती करणेस हरकत नाही. असा अहवाल सादर केला आहे.

आणि ज्याअर्थी ग्रामपंचायत कारला (पिपरी मेघे) ता. जि.वर्धा यांचे कडील दिनांक. 31/03/2017 नुसार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कारला (पिपरी मेघे) ता. जि.वर्धा यांचे अहवालानुसार सदर शेतजमीनीला अकृषक परवानगी देण्यास हरकत नाही असा अहवाल सादर केला आहे.

आणि ज्याअर्थी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वर्धा यांचेकडील दिनांक. 21/03/2017 अन्वये सदर शेत जमीन कोणत्याही प्रकल्प क्षेत्रात लाभ क्षेत्रात किंवा बाधित क्षेत्रात समाविष्ट नाही. त्यामुळे अकृषक परवानगी देण्यास हरकत नाही. असा अहवाल सादर केला आहे.

आणि ज्याअर्थी निम्न वर्धा कालवे विभाग वर्धा यांचेकडील दिनाक. 09/05/2017 चे पत्रान्वये सदर शेत निम्न वर्धा प्रकल्प कालवे अंतर्गत समावेश क्षेत्रात येत नाही.असा अहवाल सादर केला आहे

**सदर अकृषक जमीनीचा तपशिल व त्यावरील आकारणी खालील प्रमाणे आहे.**

| सर्वे क्रमांक | एकुण आराजी हे.आर. | आराजी चौ.मि. | प्रती चौ.मि. आकारणी |
|---|---|---|---|
| 107 | 1.15 | 11500.00 | 10 पैसे प्रती चौ.मि. |
| एकुण आराजी | | | 11500.00 चौ.मि. |
| प्रत्यक्ष अकृषक जमिनीचे क्षेत्र | | | 11500.00 चौ.मि. |
| रस्त्या खालील क्षेत्र | | | 4314.57 चौ.मि. |
| खूल्या जागेचे क्षेत्र | | | 1153.49 चौ.मि. |
| निवासी भूखंडा खालील क्षेत्र | | | 6031.94 चौ.मि. |

**भूखंडाचा तपशिल**

| भूखंड क्रमांक | एकुण भूखंड | भूखंडाचे क्षेत्र | भूखंडाचे एकुण क्षेत्र | भूखंडाहिय अकृषक सारा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 139.63 | 139.63 | 13.97 |
| 2 | 1 | 110.47 | 110.47 | 11.05 |
| 3 | 1 | 110.00 | 110.00 | 11.00 |
| 4 | 1 | 113.06 | 113.06 | 11.31 |
| 5 | 1 | 122.62 | 122.62 | 12.27 |
| 6 | 1 | 141.60 | 141.60 | 14.46 |
| 7 | 1 | 114.75 | 114.75 | 11.48 |
| 8 ते 11 | 4 | 101.25 | 405.00 | 40.50 |
| 12 | 1 | 147.86 | 147.86 | 14.79 |
| 13 | 1 | 107.68 | 107.68 | 10.77 |
| 14 ते 17 | 4 | 101.25 | 405.00 | 40.50 |
| 18 | 1 | 114.75 | 114.75 | 11.48 |

uttam

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 143.95 | 143.95 | 14.40 |
| 20 ते 31 | 12 | 127.50 | 1530.00 | 153.00 |
| 32 | 1 | 130.65 | 130.65 | 13.07 |
| 33 | 1 | 137.81 | 137.81 | 13.78 |
| 34 | 1 | 194.75 | 194.75 | 19.48 |
| 35 | 1 | 130.20 | 130.20 | 13.02 |
| 36 | 1 | 130.98 | 130.98 | 13.10 |
| 37 | 1 | 128.45 | 128.45 | 12.85 |
| 38 | 1 | 127.88 | 127.88 | 12.79 |
| 39 | 1 | 130.05 | 130.05 | 13.01 |
| 40 | 1 | 127.92 | 127.92 | 12.80 |
| 41 | 1 | 128.90 | 128.90 | 12.90 |
| 42 | 1 | 129.40 | 129.40 | 12.94 |
| 43 | 1 | 129.61 | 129.61 | 12.96 |
| 44 | 1 | 129.37 | 129.37 | 12.94 |
| 45 | 1 | 133.12 | 133.12 | 13.31 |
| 46 | 1 | 137.06 | 137.06 | 13.71 |
| 47 | 1 | 141.00 | 141.00 | 14.10 |
| 48 | 1 | 158.42 | 158.42 | 15.84 |
| एकुण | 48 | | 6031.94 | 604.00 |

अधिकारी वर्धा

**अकृषक जमिनीवरील आकारणी**

| **आकारणी** | **रूपये** | **भरणा करण्याचा तपशील** | **नियम** |
|---|---|---|---|
| अकृषक | 604.00 | प्रतीवर्ष | कलम 110 |
| जिल्हा परिषद | 4228.00 | प्रतीवर्ष | कलम 110 |
| ग्राम पंचायत | 604.00 | प्रतीवर्ष | कलम 110 |
| परावर्तीत कर | 3020.00 | एकदाच | कलम 47 अ |
| **एकुण आकारणी** | 8456.00 | | |

ज्याअर्थी संदर्भादिन जमीन ग्रामीण भागामध्ये तसेच जिल्हा परिषद 5.किमी परिघात मध्ये येत असल्याने रु.10 पैसे प्रति दराने होणारे बिगरशेती सारा रुपये 604/-जि.प.उपकर रुपये 4228/- ग्रा.प कर रुपये 604/- रुपांतरीत कर रुपये 3020/- अशी एकुण रक्कम रुपये 8456/- सरकारी जिण्यात जमा करावी.

आणि ज्याअर्थी नगर रचनाकार वर्धा यांचे कडील पत्र क्र.423/ दि.04/03/2017 नुसार सिमांकनाची शिफारस करण्यात आलेली असुन शासनाचे दि.10/02/2010 चे निर्देशानुसार छाननी शुल्काची रक्कम रु.1500/-शासकिय खजिन्यात चलान क्रं. 9004631 /दिनांक. 03/03/2017 रोजी शासन जमा केले आहे. वर्धा प्रदेशाकरीता अंतीम मजुंर प्रादेशिक योजना शासन राजपत्र दि. 31/01/2018 प्रसिध्द झालेली असल्याने त्यामधील विकास नियंत्रन नियमावलीचे तरतुदीच्याअनुषंगाने उक्त प्रकरणी विकास शुल्काची रक्कम रु.55,000/-शासकिय खजिन्यात चलान क्रं.2673123/दिनांक.20/06/2018 रोजी शासन जमा केले. प्रकरणात सादर अभिन्यासाची नकाशाची छाननी केली असता ते साधारणपणे नियमा नुसार योग्य आढळून आल्याने सिमांकीत नकाशास त्यांचे कडील सदंर्भ पत्र क्रं.3 जा.क्र.अकृषक / मौजा.कारला /ता. वर्धा/ स.नं. 107 नरव/1257 /2018/ दिनांक.03/07/2018 यात नमुद अटीवर **अंतीम मंजुरीची शिफारस करण्यात येत आहे असा** अहवाल सादर केला आहे.

uttam

त्याअर्थी वरील सर्व बाबी विचारात घेवून मौजा कारला ता.जि.वर्धा येथील स.नं. 107 एकुणआराजी 1.15 हे.आर.जमीनीस निवासी प्रयोजनासाठी कृषक जमीन अकृषक प्रयोजनाकरीता भु-परावर्तीत करण्याची परवानगी देण्याबाबत मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन **मी, उत्तम दिघे उपविभागीय अधिकारी,** वर्धा मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अधिन राहुन महाराष्ट्र जमीन अधिनियम 1966 कलम 44(1) मधील तरतुदी अन्वये मौजा कारला ता. जि.वर्धा येथील स.नं.107 एकुणआराजी 1.15 हे.आर. जमीन निवासी प्रयोजनासाठी **जमीन निवासी कारणासाठी बिनशेती (अकृषक) वापर करण्यास** श्री. हरिभाऊ वासुदेवराव वझुरकर रा.वर्धा ता.जि.वर्धा यांना कृषक जमीनीस निवासी अकृषक प्रयोजनाकरीता भु-परावर्तीत करण्याबाबत आदेशात नमुद केलेल्या संबधीत भागाच्या अटी व शर्तीना अधीन राहुन तसेच खालील नमूद अटी व शर्तीस अधीन राहुन आदेश पारीत करीत आहे.